जितेंद्र चौहान और विवेक पुरी से पहले, जे. जे.

मनोज कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेक्टर 12, चंडीगढ़-प्रतिवादी

2019 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1302

16 मार्च, 2021

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-लिखित याचिका-पात्रता-योग्यता की समानता-स्टोर कीपर का पद-याचिकाकर्ता को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था-उसकी एमबीए (खुदरा प्रबंधन) की डिग्री का दावा सामग्री प्रबंधन में आवश्यक स्नातकोत्तर डिग्री के बराबर किया गया था-मूल आवेदन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि शैक्षिक योग्यता की समानता विशुद्ध रूप से एक तकनीकी शैक्षणिक विषय था जिस पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना था-चुनौती-इसके बाद, प्रतिवादी संस्थान द्वारा पात्रता मानदंड में एमबीए डिग्री को शामिल करने के लिए संशोधित नियम-आयोजित किए गए, समानता पर काम करने के लिए कोई गणितीय

समीकरण तैयार नहीं किया जाना है-'समानता' शब्द को 'सटीक' नहीं माना जाना चाहिए-यदि दो योग्यताओं में पर्याप्त समानता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, यहां तक कि विवादित आदेश में यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसने "सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में पढ़ाए जाने वाले अधिकांश विषयों" का अध्ययन किया है और इस तरह, यह स्वीकार किया गया था कि सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा खुदरा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा से अलग है।हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संस्करण के इस पहलू को एक विशेषज्ञ समिति को मामले को भेजने के उनके दावे को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से क्योंकि बाद के संशोधन में सभी एमबीए डिग्री को पात्रता मानदंड में शामिल किया गया है।इसके अलावा, समतुल्यता पर काम करने के लिए, कोई गणितीय समीकरण नहीं निकालना पड़ता है।'तुल्यता' शब्द को 'सटीक' नहीं माना जाना चाहिए। यह देखना होगा कि क्या पर्याप्त संख्या 630 है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

दोनों योग्यताओं में समानता, याचिकाकर्ता समकक्ष माने जाने का हकदार हो जाता है। केवल नामकरण में अंतर को समानता से इनकार करने का आधार नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, यह नामकरण नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम की सामग्री है जिसे समानता निर्धारित करते समय देखा जाना चाहिए।

(पैरा 15) ने आगे कहा कि इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की विद्या सम्बन्धी योग्यता के पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम की जांच करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए तीन विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करने का निर्देश दिया जाता है और यदि यह पाया जाता है कि दोनों पाठ्यक्रम व्यापक रूप से और काफी हद तक समान हैं, तो याचिकाकर्ता को दोनों पाठ्यक्रमों के नामकरण की परवाह किए बिना योग्य उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा।इस संबंध में पूरी कवायद इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।

(पैरा 16)

विकास चतरथ, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

विक्रांत शर्मा, प्रतिवादी के अधिवक्ता

विवेक पुरी, जे।

(1) कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए और निर्देशों के अनुसार इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से उठाया गया है।(2) याचिकाकर्ता केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 26.09.2018 के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए सरशियोरेराई प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग कर रहा है।

(3) दिनांक 16.04.2016 के विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है, ने प्रतिवादी के साथ स्टोर कीपर के पद के लिए आवेदन किया था।विज्ञापन दिनांक 16.04.2016 के अनुसार, पद की पात्रता मानदंड निम्नलिखित रूप में निर्दिष्ट किए गए थेः-

" आवश्यकः

i) अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री।ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।

वांछनीयः

स्टोर को संभालने का अनुभव और किसी स्टोर में रिकॉर्ड रखने का अनुभव, अधिमानतः चिकित्सा या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित संस्थान के लिए।

या

1.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री।

2.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्वयालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।

3.दुकानों, दुकानों को संभालने में तीन साल का अनुभव अधिमानतः सरकारी मेडिकल स्टोरों में। सार्वजनिक/निजी क्षेत्र।" (4) याचिकाकर्ता ने एमबीए (खुदरा प्रबंधन) उत्तीर्ण किया था और उसे पद के भर्ती नियमों के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को योग्य मानने के लिए निर्देश जारी करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि शैक्षिक योग्यता की समानता विशुद्ध रूप से एक तकनीकी शैक्षणिक विषय है और इस पर उपयुक्त प्राधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा विचार किया जाना चाहिए, वह भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले विधिवत प्रकाशित विशिष्ट आदेश द्वारा और आगे याचिकाकर्ता ने खुद स्वीकार किया था कि उसने "सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में पढ़ाए जाने वाले अधिकांश विषयों" का अध्ययन किया है।इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा खुदरा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा से अलग है।

(5) प्रतिवादी ने इस आशय का मामला रखा है कि स्टोर कीपर के पद का विज्ञापन 16.04.2016 पर किया गया था।याचिकाकर्ता को जाँच समिति द्वारा 20.01.2017 पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी।भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परिणाम घोषित कर दिया गया है।हालाँकि, परिणाम की घोषणा के बाद, भर्ती नियमों को 26.05.2017 पर संशोधित किया गया था और उपलब्ध और खाली पदों को भरने के लिए 12.10.2020 पर नया विज्ञापन जारी किया

गया है।याचिकाकर्ता पर वर्ष 2016 में विज्ञापित पद के लिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह उस समय अयोग्य था।

(6) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता एमबीए (खुदरा प्रबंधन) में डिग्री धारक है और समतुल्यता के आधार पर वह स्टोर रखवाला के पद के लिए पात्र है। 632

रखवाला।याचिकाकर्ता को मामले को विशेषज्ञ समिति को भेजे बिना अयोग्य घोषित कर दिया गया है।इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा नियमों में संशोधन किया गया है और सभी एम. बी. ए. डिग्री धारकों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।ऐसी परिस्थितियों में, यह उचित रूप से माना जा सकता है कि प्रतिवादी के संस्करण के अनुसार भी, याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित एमबीए की डिग्री में समानता थी और इसके परिणामस्वरूप, सभी एमबीए को बाद के संशोधन में शामिल किया गया है।याचिकाकर्ता के विघवान वकील ने 2012 के एल. पी. ए. संख्या 1110, में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। अंजू कुमारी बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा, 20.09.2012 पर तय किया गया

यह तर्क देना कि मामला वर्तमान मामले में शामिल समतुल्यता के प्रश्न पर जाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति को भेजा जाना उत्तरदायी है।

(8) इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2016 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है।याचिकाकर्ता के पास उस समय अपेक्षित योग्यता नहीं थी और परिणामस्वरूप, मामले की जांच जांच समिति द्वारा की गई थी और याचिकाकर्ता को पद के भर्ती नियमों के अनुसार पात्र नहीं घोषित किया गया था।नियमों में संशोधन बाद के चरण में किया गया है।परिणाम घोषित होने के बाद, 26.05.2017 पर नियमों में संशोधन किया गया और उसके बाद, 12.10.2020 पर एक नया विज्ञापन जारी किया गया है।नए संशोधन के अनुसार, कई अन्य परिवर्तनों को शामिल किया गया है, जिसअन्य बातों के साथ साथ अन्य बातों के साथ-साथ सभी एम. बी. ए. डिग्री धारक शामिल हैं।हालाँकि, इस तरह के संशोधन से याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं होगा और इसे पूर्वव्यापी प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, समानता के संबंध में मामले पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह शैक्षणिक विषय से संबंधित है और न्यायालय उस पर कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं।

(9) मान लीजिए, याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.04.2016 के विज्ञापन के अनुसरण में स्टोर कीपर के पद के लिए आवेदन किया था।यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता एमबीए (खुदरा प्रबंधन) है और पात्रता मानदंड किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के रूप में निर्धारित किया गया था।यह ध्यान दें योग्य है कि पात्रता मानदंडों में 'समतुल्यता' भी निर्धारित की गई है।याचिकाकर्ता को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है कि वह विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर सका।

(10) सटीक रूप से, तत्काल मामले में विवाद इस प्रभाव से है कि क्या याचिकाकर्ता समानता के आधार पर पद के लिए पात्र माने जाने का हकदार है या नहीं।

(11) विद्वान न्यायाधिकरण ने मामले में एक निर्णय पर भरोसा किया है

चंद्रकला त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 1 जो

यह बताता है कि 'समतुल्य' शब्द को सटीक नहीं माना जाना चाहिए।इसके अलावा, विद्वान न्यायाधिकरण ने भी निर्णयों पर रखा है

मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी. डी. गोविंदा राव और अन्य 2, मोहम्मद शुजात अली और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 3 और राजस्थान राज्य और अन्य बनाम लता अरुण 4 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

न्यायालयों को दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं में समानता के बारे में कोई निश्चित राय व्यक्त करने से बचना चाहिए।

(12) प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि समानता के संबंध में मामले पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में है।इस संबंध में, यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि समानता के संबंध में मामले पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाना है और न्यायालय तत्काल मामले में समानता निर्धारित करने में विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा

रहा है।न्यायालय समतुल्यता के निर्णय की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है, यह बाहरी या अप्रासंगिक विचार पर आधारित या दुर्भावना से प्रेरित या विकृति से ग्रस्त या स्पष्ट रूप से गलत दिखाया गया है।हालांकि, तत्काल मामले में, विशेषज्ञ समिति द्वारा मामले की जांच नहीं की गई है और ऐसी परिस्थितियों में, समानता निर्धारित करने के लिए मामले को विशेषज्ञ समिति को भेजना उचित होगा।(13) यह विवादित नहीं है कि जिस श्रेणी में याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था, उसमें किसी भी उम्मीदवार का चयन और नियुक्ति वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन के अनुसरण में नहीं की गई थी और नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है।

(14) स्टोर कीपर के पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों से संबंधित नियमों में संशोधन के संबंध में बाद के विकास के कारण तत्काल मामले में समानता का निर्धारण काफी महत्वपूर्ण है।मान लीजिए, भर्ती नियमों को 26.05.2017 पर संशोधित किया गया था और पात्रता मानदंड में सभी MBA डिग्री धारक शामिल थे।नए भर्ती नियम निम्नलिखित पात्रता मानदंड प्रदान करते हैं:-

" आवश्यकः

1) गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री और

1 (2012) 3 एससीसी, 129

2 आकाशवाणी 1965 एससी 491

3 (1975) 3 एससीसी 76

2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/वित्त में एमबीए/स्नातकोत्तर।"

(15) यहां तक कि विवादित आदेश में यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने खुद स्वीकार किया था कि उसने "सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में पढ़ाए जाने वाले अधिकांश विषयों" का अध्ययन किया है और इस तरह, यह स्वीकार किया गया था कि सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा खुदरा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा से अलग है।हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संस्करण के इस पहलू को एक विशेषज्ञ समिति को मामले को भेजने के उनके दावे को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से क्योंकि बाद के संशोधन में सभी एमबीए डिग्री को पात्रता मानदंड में शामिल किया गया है।इसके अलावा, समतुल्यता पर काम करने के लिए, कोई गणितीय समीकरण नहीं निकालना पड़ता है।'तुल्यता' शब्द को 'सटीक' नहीं माना जाना चाहिए।यह देखना होगा कि यदि दोनों योग्यताओं में पर्याप्त समानता है, तो याचिकाकर्ता समकक्ष माने जाने का हकदार हो जाता है।केवल नामकरण में अंतर को समानता से इनकार करने का आधार नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, यह नामकरण नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम की सामग्री है जिसे समानता निर्धारित करते समय देखा जाना चाहिए।

(16) इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की विद्या सम्बन्धी योग्यता के पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम की जांच करने के लिए तीन विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करे और विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों की जांच करे और यदि यह पाया जाता है कि दोनों पाठ्यक्रम व्यापक रूप से और काफी हद तक समान हैं, तो याचिकाकर्ता को दोनों पाठ्यक्रमों के नामकरण के बावजूद योग्य उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा।इस संबंध में पूरी कवायद इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।

(17) यह आगे निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता विशेषज्ञ समिति के निर्णय से व्यथित है या यदि विशेषज्ञ समिति का निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में है और इसके बावजूद उसे प्रतिवादी द्वारा एक योग्य उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जाता है, तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार एक उचित याचिका दायर करके उक्त कार्रवाई को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(18) उपरोक्त शर्तों में, वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उघेश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

हस्ताक्षर:- 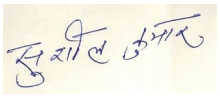

अनुवादक:- सुशील कुमार